



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266005
CG-DL-E-08092025-266005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 240]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

खान मंत्रालय

योजना अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

विषय: महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण संवर्धन प्रोत्साहन योजना।

1. पृष्ठभूमि

1.1 **फा. सं. 02/12/2024-ईएस.**—सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान उनके उच्च आर्थिक महत्व और आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण की है। अंतरिक्ष, वैमानिकी, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों जैसे सामरिक क्षेत्रों में इनके उपयोग के कारण इनका आर्थिक महत्व है। कोबाल्ट, लिथियम, निकल, ग्रेफाइट आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा परिवर्तन प्रणालियों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक हैं। अंतरिक्ष, वैमानिकी, रक्षा या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण खनिज परिशुद्धता उपकरणों और प्रक्रियाओं में उच्च-तकनीकी अनुप्रयोग को सक्षम बनाते हैं। ऐसे खनिजों की लचीली आपूर्ति श्रृंखला उपरोक्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में देश के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1.2 खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से, 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों को अधिनियम की अनुसूची 1 के भाग 'घ' में सम्मिलित एवं सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से अधिकांश खनिजों के भंडार और उत्पादन या तो शून्य हैं या बहुत कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता अधिक है (अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों में 80% से अधिक) और कुल वार्षिक विदेशी मुद्रा व्यय 80,000 करोड़ रुपये से अधिक है। चिंता का एक अन्य क्षेत्र आपूर्ति स्रोत की विश्वसनीयता है क्योंकि महत्वपूर्ण खनिजों का खनन केवल कुछ ही देशों जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, डीआर कांगो और इंडोनेशिया में होता है। और

प्रसंस्करण में, 65% से अधिक अकेले चीन में हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला शिथिल हो गई है। इसके अतिरिक्त, आयात अक्सर तैयार उत्पादों का होता है, जिससे उस मूल्य का नुकसान होता है जिसे घरेलू स्तर पर प्राप्त किया जा सकता था।

1.3 केंद्रीय बजट 2024-25 में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित घोषणा की थी:

“हम घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेश में अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना करेंगे। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचा और एक उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र शामिल होगा।”

- 1.4 दिनांक 29.01.2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना की गई है, जिसमें कई प्रमुख घटक शामिल हैं जैसे घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की खोज और नीलामी में वृद्धि, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, पुनर्चक्रण, कौशल, अनुसंधान और विकास आदि। विशेष रूप से, एनसीएमएम के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए एक प्रोत्साहन योजना, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा 1,500 करोड़ रुपये आंकी गई है, की परिकल्पना की गई है।
- 1.5 खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू क्षमता निर्माण और लचीली आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में पहले ही कई कदम उठाए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों में शुरू की गई गवेषण परियोजनाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ गई है (कार्य सत्र 2021-22 में 59 परियोजनाओं से लेकर कार्य सत्र 2025-26 में 227 परियोजनाएं)। केंद्र सरकार ने अब तक पांच चरणों में 55 अद्वितीय महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा है, जिनमें से 34 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। खान मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम, मैसर्स खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) द्वारा अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक के अधिग्रहण के अलावा, भारत ने भारतीय सरकारी संस्थाओं द्वारा गवेषण और खनन के लिए जाम्बिया में 9,000 वर्ग किमी का क्षेत्र अर्जित किया है। तथापि, उपरोक्त कदमों की निर्माणाधीन (जेस्टेशन) अवधि होती है तथा भारतीय उद्योग को महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति इसके बाद ही की जा सकती है।
- 1.6 आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अधिक समीचीन तरीका है उनके द्वितीयक स्रोतों ("शहरी खनन") का पुनर्चक्रण। दूसरे शब्दों में, आयातित (और/या घरेलू स्तर पर उत्पादित) और प्रणाली में उपलब्ध सभी सामग्री को देश में ही रखा जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण खनिजों की एक विपरीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए द्वितीयक स्रोत का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- 1.7 महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के प्रमुख स्रोत ई-अपशिष्ट और लिथियम-आयन बैटरी (एलआईबी) अपशिष्ट हैं। दिनांक 09.02.2025 तक, 322 पंजीकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं की रिपोर्ट की गई वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता लगभग 2.2 मिलियन टन है। तथापि, वर्तमान में पुनर्चक्रण में ज्यादातर संग्रह, विघटन, कतरना/क्रशिंग और छंटाई शामिल है। महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण में शामिल वर्तमान पुनर्चक्रण क्षमता सीमित है। डेड एलआईबी के पुनर्चक्रण में, अधिकांश भारतीय बैटरी पुनर्चक्रणकर्ता वर्तमान में आर2 पुनर्चक्रणकर्ता (ब्लैक मास उत्पादक) हैं। आर3 पुनर्चक्रण (ब्लैक मास से धातु लवण/धातु) और आर4 पुनर्चक्रण (एंड-टू-एंड बैटरी स्कैप से धातु सॉल्ट/धातु) की मौजूदा क्षमता भी सीमित है। वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता को 2030 तक चार गुना बढ़ाकर कम से कम 400 किलोटन करने की आवश्यकता है ताकि 2030 तक प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाले डेड बैटरी फीडस्टॉक का पूर्ण उपयोग किया जा सके। सामान्य कार्यप्रणाली में 2030 तक यह क्षमता दोगुनी हो सकती है।
- 1.8 इस प्रकार, ई-अपशिष्ट और अन्य प्रयुक्त उत्पादों से महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु क्षमता विकास के अलावा, क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए एनसीएमएम के अंतर्गत एक प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित है।

2. महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना

- 2.1 यह योजना देश में महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु उद्योग को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी ताकि पुनर्चक्रण के माध्यम से द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करके उनका उत्पादन किया जा सके।
- 2.2 परिशिष्ट-I में उल्लिखित महत्वपूर्ण खनिजों की सूची इस योजना के दायरे में आएगी।

3. उद्देश्य

- 3.1 इस योजना का उद्देश्य घरेलू क्षमता में वृद्धि और आयात पर निर्भरता में कमी के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों में आर्थिक लचीलापन बढ़ाना; और फीडस्टॉक की बढ़ती उपलब्धता के बीच पुनर्चक्रण क्षमता की कमियों को दूर करना है।

4. निवेश की पात्रता

- 4.1 इस योजना के लक्षित लाभार्थी भारत में पंजीकृत महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और निष्कर्षण करने वाले द्वितीयक उत्पादों के पुनर्चक्रणकर्ता होंगे। योजना के तहत प्रोत्साहनों के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं के चयन हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा पुनर्चक्रण सुविधाओं का प्राधिकरण एक अनिवार्य आवश्यकता होगी।
- 4.2 लक्षित लाभार्थियों को उनके वैश्विक विनिर्माण राजस्व (जीएमआर) के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् किसी कंपनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व, जिसमें उसकी स्वामित्व वाली कंपनी (यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है) या सहायक कंपनियां (यदि कंपनी स्वामित्व वाली कंपनी है) शामिल हैं। समूहीकरण के मानदंड नीचे दिए गए हैं:

#	समूह	मानदंड (आधार वर्ष में आवेदकों का जीएमआर)	पुनर्चक्रणकर्ता का प्रकार
1.	क	200 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक	बड़ा, स्थापित
2.	ख	200 करोड़ रुपये से कम	छोटे, नए (स्टार्ट-अप सहित)

- 4.3 यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण पर भी लागू होगी।
- 4.4 यह योजना विभिन्न पुनर्चक्रण प्रणालियों जैसे ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण, एलआईबी स्क्रेप पुनर्चक्रण और अन्य पुनर्चक्रण, अर्थात् ई-अपशिष्ट और एलआईबी स्क्रेप के अलावा अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगी।
- 4.5 मौजूदा पुनर्चक्रण इकाइयों के पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) नियमों के तहत वैध पंजीकरण होना चाहिए, जो भी लागू हो:
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022
 - बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
 - पर्यावरण संरक्षण (समय-समाप्ति वाहन) नियम, 2025
- 4.6 नई/स्टार्टअप पुनर्चक्रण सुविधा को पुनर्चक्रण/शोधन शुरू करने से पहले, पंजीकरण की पूर्व प्रक्रिया पूरी करने के बाद, संबंधित ईपीआर नियमों के तहत पंजीकरण करवाना होगा।
- 4.7 यद्यपि यह योजना फीडस्टॉक स्रोत से स्वतंत्र है, लेकिन पुनर्चक्रण के लिए फीडस्टॉक की सोर्सिंग, चाहे वह घरेलू हो या आयातित, को मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

5. योजना के प्रक्रिया मानदंड

5.1 पात्र इनपुट (स्क्रेप स्रोत):

- 5.1.1 इस योजना के प्रयोजनों के लिए, ई-अपशिष्ट को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 की धारा 3(1)(I) और नियमों की अनुसूची-I में परिभाषित किया जाएगा, जिसमें विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है। एलआईबी स्क्रेप विभिन्न उन्नत रसायन सेल (एसीसी) मिश्रण जैसे एलएफपी, एनएमसी और एलसीओ आदि होंगे। अन्य स्क्रेप में सभी प्रकार के स्क्रेप (ई-अपशिष्ट और एलआईबी स्क्रेप को छोड़कर) शामिल होंगे जिनसे महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षित किए जा सकते हैं, जैसे कि एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ईएलवी) में उत्प्रेरक कनवर्टर, आदि।

- 5.1.2 द्वितीयक स्रोतों में सामान्यतः अलग-अलग महत्वपूर्ण सामग्रियों की सांद्रता 30% से कम होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का आवंटन उन स्रोतों की ओर अधिक हो जिन्हें संसाधित करना कठिन है।
- 5.2 पात्र उत्पादन (पुनर्प्राप्त तैयार उत्पाद): महत्वपूर्ण खनिजों के उपयोगी उत्पाद या मध्यवर्ती प्रकार के उत्पाद पुनर्प्राप्त करने और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कैप स्रोतों का पुनर्चक्रण घरेलू मूल्य प्राप्ति के साथ किया जाए। उत्पादित धातुओं/अयस्कों/यौगिकों की शुद्धता सामान्यतः कम से कम 99% होगी।
- 5.3 पात्र प्रक्रिया: यह योजना रासायनिक प्रसंस्करण/निष्कर्षण (एल3) को प्रोत्साहित करेगी, जिसका अर्थ है एलआईबी स्कैप पुनर्चक्रण के लिए आर3 पुनर्चक्रणकर्ता (ब्लैक मास से धातु लवण/धातु) और आर4 पुनर्चक्रणकर्ता (पूरी तरह से बैटरी स्कैप से धातु लवण/धातु), जो हाइड्रोमेटलर्जी के साथ-साथ नई और आशाजनक तकनीकों का उपयोग करते हैं। एल1 (संग्राहक, विखंडक) और एल2 (श्रेडर, सॉर्टर)/आर2 (यांत्रिक श्रेडिंग के माध्यम से एलआईबी स्कैप से ब्लैक मास उत्पादन) श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पुनर्चक्रणकर्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह योजना उस पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण में शामिल है, न कि केवल संग्रहण, विखंडन, श्रेडिंग/क्रशिंग या छंटाई में शामिल मूल्य श्रृंखला के लिए।
- 5.4 उत्पादन लक्ष्य: यह देखते हुए कि पुनर्चक्रण प्रक्रिया में पुनर्प्राप्ति महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और पृथक्करण के लिए आधार स्तर का उपज लक्ष्य 80% होगा, अर्थात् कम से कम 80% पुनर्प्राप्ति करने योग्य सामग्री को पुनर्चक्रण द्वारा पृथक/उत्पादित करना होगा।

6. योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना

- 6.1 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन संरचना निम्नानुसार होगी:
- 6.1.1 पूंजीगत व्यय सब्सिडी: नई पुनर्चक्रण क्षमता या मौजूदा क्षमता को नए तरीके से बढ़ाने के लिए इकाइयों को विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उत्पादन शुरू करने हेतु पूंजीगत व्यय पर 20% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे इतर परिशिष्ट-II में दी गई अनुसूची के अनुसार कम की गई सब्सिडी लागू होगी। यह वित्तीय प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किया जाएगा। पूंजीगत व्यय, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर होने वाले व्यय का कुल योग होगा। ऐसे उपयुक्त पूंजीगत व्यय का विवरण योजना के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, चाहे आयातित हों या घरेलू स्तर पर खरीदे गए हों, के मामलों में, वित्तीय प्रोत्साहनों की गणना के लिए कुल उपयुक्त संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के कुल मूल्य, 20% से अनधिक, पर विचार किया जाएगा।
- 6.1.2 प्रचालन व्यय सब्सिडी: आधार वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन, परिशिष्ट-II में दिए गए प्रोत्साहन दर और वृद्धिशील बिक्री सीमा के विवरण के अनुसार इकाइयों को प्रदान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 को आधार वर्ष माना जाएगा। आवेदक एक वर्ष की परियोजना पूरी होने की अवधि का विकल्प चुन सकता है, इस स्थिति में आधार वर्ष वित्त वर्ष 2026-27 होगा।
- 6.1.3 पूंजीगत व्यय सब्सिडी और प्रचालन व्यय सब्सिडी का संयोजन
- 6.2 प्रोत्साहन सीमा: लाभार्थियों की अधिक संख्या सुनिश्चित करने के लिए प्रति प्रतिभागी कुल प्रोत्साहन राशि एक सीमा के अधीन होगी। लाभार्थियों की अनुमानित संख्या को देखते हुए, समूह 'क' के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी के लिए आरंभ में 50 करोड़ रुपये और समूह 'ख' के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी के लिए 25 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, बाद में आवश्यकतानुसार इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त समग्र सीमा के अंतर्गत, समूह 'क' संस्थाओं के लिए प्रचालन व्यय सब्सिडी की सीमा 10 करोड़ रुपये और समूह 'ख' संस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपये होगी।
- 6.3 राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन, यदि कोई हों, योजना के अंतर्गत पात्र प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होंगे।

- 6.4 आवेदक भारत सरकार की किसी अन्य योजना (योजनाओं) के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। क्लस्टर विकास कार्यक्रमों में स्थित पुनर्चक्रणकर्ताओं को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

7. योजना की अवधि

- 7.1 योजना की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों की है।
- 7.2 यह योजना प्रारंभ में आवेदन आमंत्रित करने की तारीख से 6 (छह) माह की अवधि के लिए खोली जाएगी। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदनों के अनुसार कार्यान्वयन जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

8. निवेश की प्रारंभिक सीमा

- 8.1 योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए आवेदक को न्यूनतम प्रारंभिक निवेश करना होगा। यह योजना के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- 8.2 नई इकाइयों या क्षमता विस्तार/मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए प्रारंभिक सीमाएं समान हैं।
- 8.3 जिन वस्तुओं/ प्रारंभिक सीमाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, उनकी सूची में, यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसके संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

9. अनुमोदन एवं संवितरण प्रक्रिया

- 9.1 इस योजना के अंतर्गत आवेदन भारत में पंजीकृत लक्षित खंड की किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- 9.2 प्रत्येक आवेदन को नए निवेश के रूप में माना जाएगा और इसे एक स्वतंत्र आवेदन माना जाएगा। आवेदन केवल एकल-चरण परियोजनाओं के लिए होगा और योजना के अंतर्गत चरण-वार आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी आवेदक पर एक से अधिक और/या एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 9.3 सभी प्रकार से पूर्ण और योजना की नियत तारीख से पहले प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक आवेदन का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा। आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद पावती जारी की जाएगी। आवेदन की पावती को योजना के अंतर्गत अनुमोदन नहीं माना जाएगा।
- 9.4 इस योजना के अंतर्गत दिया गया प्रोत्साहन इस योजना के अनुमोदन की तारीख से किए गए निवेश पर लागू होगा।
- 9.5 पात्र पूंजीगत व्यय के लिए प्रोत्साहन राशि आवेदन के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी, बशर्ते कि पूंजीगत व्यय प्रारंभिक मूल्य से अधिक हो और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर ही जारी की जाएगी। प्रोत्साहन के लिए आगामी दावे छमाही आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- 9.6 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई को उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम 3 (तीन) वर्ष या अंतिम प्रोत्साहन प्राप्ति की तारीख से 1 (एक) वर्ष, जो भी बाद में हो, तक वाणिज्यिक उत्पादन में बने रहना होगा।

10. शासन तंत्र

- 10.1 योजना का कार्यान्वयन एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से किया जाएगा, जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और खान मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार होगी। पीएमए के कामकाज और जिम्मेदारियों का विवरण योजना के दिशा-निर्देशों में दिया जाएगा।
- 10.2 योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों के लिए, पीएमए, अन्य बातों के साथ-साथ, -

- 10.2.1 आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना, मूल्यांकन करना और योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदकों की पात्रता का सत्यापन करेगी।
- 10.2.2 संवितरण दावों की जांच करवाएगी और अनुमोदित आवेदकों को प्रोत्साहन राशि संवितरित करेगी।
- 10.2.3 योजना की प्रगति और निष्पादन पर खान मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 10.3 एमए, मूल्यांकन किए गए और पात्र पाए गए आवेदनों को खान मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यकारी समिति (ईसी) के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ईसी की अध्यक्षता खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद के अधिकारी द्वारा की जाएगी और इसमें संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ईसी का विस्तृत गठन, कार्यप्रणाली और उत्तरदायित्व योजना के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 10.4 कार्यकारी समिति, आवेदनों के अनुमोदन/अस्वीकृति/संशोधन के लिए पीएमए को अनुशंसा करेगी। ईसी की अनुशंसाओं के आधार पर, पीएमए आवेदक को एक अनुमोदन पत्र जारी करेगा, जिसकी एक प्रति खान मंत्रालय को भी भेजी जाएगी।
- 10.5 खान मंत्रालय, योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। प्रोत्साहन राशि का वितरण पीएमए द्वारा अनुमोदन शर्तों और वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। पीएमए, नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में खान मंत्रालय को बजटीय आवश्यकताएं प्रस्तुत करेगा।
- 10.6 योजना के कार्यान्वयन के लिए खान मंत्रालय द्वारा विस्तृत योजना दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे और अलग से जारी किए जाएंगे।
- 10.7 योजना की प्रगति की समीक्षा खान मंत्रालय द्वारा खान सचिव की अध्यक्षता में गठित एक शासी परिषद (जीसी) के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सरकार और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल होंगे। शासी परिषद का विस्तृत गठन, कार्यप्रणाली और उत्तरदायित्व योजना के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। शासी परिषद समय-समय पर योजना और उससे संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी। शासी परिषद को लक्षित खंडों; लागू प्रोत्साहन दरों; निवेश और बिक्री की सीमा; निर्माण अवधि; योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण और संबद्ध उपयोगिताओं की सूची, लागू सीमा सहित; या योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य मामले के संबंध में योजना के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 10.8 उद्योग और व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह इसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप है।

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

परिशिष्ट-1

प्रोत्साहन योजना के दायरे में आने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

1.	एंटीमनी युक्त अयस्क
2.	बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज
3.	बिस्मथ युक्त अयस्क
4.	कैडमियम युक्त खनिज
5.	कोबाल्ट युक्त खनिज
6.	गैलियम युक्त खनिज
7.	जर्मेनियम युक्त जस्ता अयस्क

8.	ग्लौकोनाइट
9.	ग्रेफाइट
10.	इंडियम युक्त खनिज
11.	लिथियम युक्त खनिज
12.	मोलिब्डेनम युक्त खनिज
13.	निकल युक्त खनिज
14.	नाइओबियम युक्त खनिज
15.	फॉस्फेट (यूरेनियम रहित)
16.	प्लैटिनम समूह के तत्वों से युक्त खनिज
17.	पोटाश
18.	दुर्लभ मृदा तत्व (दुर्लभ मृदा समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम नहीं होते)
19.	रेनियम युक्त खनिज
20.	सेलेनियम युक्त खनिज
21.	टैंटालम युक्त खनिज
22.	टेल्यूरियम युक्त खनिज
23.	टिन युक्त खनिज
24.	टाइटेनियम युक्त खनिज और अयस्क (इलमेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)
25.	टंगस्टन युक्त खनिज
26.	वैनेडियम युक्त खनिज
27.	ज़िरकोनियम/हाफ़नियम युक्त खनिज और अयस्क जिनमें ज़िरकोन भी शामिल है

परिशिष्ट- II

क1. अनुमोदन की तारीख से उत्पादन शुरू करने में लगने वाले समय के अनुसार पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता वाले समूह क और ख की संस्थाओं के लिए पूंजीगत व्यय सब्सिडी का सांकेतिक पैमाना

नई इकाई	विस्तार इकाई	पूंजीगत व्यय सब्सिडी की दर
18 माह	12 माह	20%
24 माह	18 माह	17%
24 माह के बाद	18 माह के बाद	14%

नोट: खान मंत्रालय आवश्यकतानुसार समय-सीमा में संशोधन कर सकता है।

क2. अनुमोदन की तारीख से उत्पादन शुरू करने में लगने वाले समय के अनुसार जिन छोटी इकाइयों को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता नहीं है, उनकी पूंजीगत व्यय सब्सिडी का सांकेतिक पैमाना

नई इकाई	विस्तार इकाई	पूंजीगत व्यय सब्सिडी की दर
12 माह	8 माह	20%
18 माह	12 माह	17%
18 माह के बाद	12 माह के बाद	14%

नोट: खान मंत्रालय आवश्यकतानुसार समय-सीमा में संशोधन कर सकता है।

ख. प्रचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी की प्रारम्भिक सीमा

वर्ष	कुल पात्र ओपेक्स का वित्तीय प्रोत्साहन (%)	वृद्धिशील बिक्री की प्रारम्भिक सीमा (करोड़ रुपये)	
		समूह क	समूह ख
वर्ष 2	40%	60	30
वर्ष 5	60%	150	75

नोट: वर्ष 0 आधार वर्ष है

MINISTRY OF MINES

SCHEME NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

Subject: Incentive Scheme for Promotion of Critical Minerals Recycling

1. Background

1.1 **F. No. 02/12/2024-ES.**—The Government has identified critical minerals due to their high economic significance and high import reliance. Economic significance is on account of its use in strategic sectors such as space, aeronautics, defence, electronics, fertilizers and clean energy systems. Critical minerals like Cobalt, Lithium, Nickel, Graphite, etc. are directly relevant to energy transition systems. In space, aeronautics, defence or electronics, critical minerals enable high-tech application in precision equipment and processes. Supply chain resilience of such minerals play a crucial role in the country's effort towards achieving self-reliance in the above sectors.

1.2 Through the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Amendment Act, 2023, 24 critical and strategic minerals have been inserted and listed in Part 'D', Schedule 1 of the Act. In most of these minerals, reserves as well as production are either nil or very low, resulting in high import reliance (over 80% in most critical minerals) with total annual foreign exchange impact of over ₹80,000 crore. Another area of concern is reliability of supply source as mining of critical minerals happen in only a few countries like Argentina, Australia, Chile, China, DR Congo and Indonesia. And in processing, over 65% is happening in China alone. This has resulted in supply chain vulnerability. Additionally, the imports are often of finished products, leading to loss of value that could have been captured domestically.

1.3 In the Union Budget 2024-25, the Union Finance Minister had made the following announcement:

"We will set up a Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism."

1.4 Following the approval by the Union Cabinet on 29.01.2025, the National Critical Mineral Mission (NCMM) has been set up, comprising several key components such as increasing exploration and auction of critical mineral blocks to increase domestic production, acquisition of critical mineral assets abroad, recycling, skilling, research & development, etc. Specifically, as per the NCMM, an incentive scheme for the recycling of critical minerals, with the quantum of incentive pegged at ₹1,500 crore, has been envisaged.

1.5 The Ministry of Mines has already initiated several steps towards building the domestic capacity of and supply chain resilience in critical minerals. The number of exploration projects in critical minerals undertaken by the Geological Survey of India (GSI) has increased almost four times over the last five years (59 projects in field season 2021-22 to 227 projects in FS 2025-26). The Central Government has so far put up 55 unique critical and strategic mineral blocks for auction in five tranches, of which 34 blocks have been successfully auctioned. Apart from acquisition of lithium block in Argentina by M/s Khanij Bidesh India Limited (KABIL), a Ministry of Mines' PSU, India secured an area of 9,000 square km in Zambia for exploration and mining by Indian government entities. However, the above steps have a gestation period before they could supply critical minerals to the Indian industry.

1.6 A more expedient way to ensure supply chain sustainability is through the recycling of their secondary sources ("urban mining"). In other words, all the material that has been imported (and/ or produced domestically) and is available in the system is retained in the country and utilized. The secondary source needs to be tapped into, in order to build a reverse supply chain of critical minerals.

1.7 Major sources for extraction of critical minerals are e-waste and Lithium-ion Battery (LIB) waste. The reported annual processing capacity of 322 registered e-waste recyclers, as of 09.02.2025, is about 2.2 million ton (mt). However, recycling presently involves mostly collection, dismantling, shredding/ crushing and sorting. Current recycling capacity involved in actual extraction of critical minerals is limited. In recycling of dead LIBs, most Indian battery recyclers are currently R2 recyclers (black mass producers). The existing capacity for R3 recycling (black mass to metal salt/ metal) and R4 recycling (end-to-end battery scrap to metal salt/ metal) is also limited. There are about 10-12 recyclers with a combined recycling capacity of approximately 100 kilo ton per annum (ktpa) for extraction of critical minerals. The annual recycling capacity needs to increase four times to at least 400 kt by 2030 so as to make full use of the dead battery feedstock that is expected to be available annually by 2030. The capacity may get doubled by 2030 in a normal course.

1.8 An incentive scheme under the NCMM is, thus, proposed to meet capacity shortfalls, besides developing capacity for extraction of critical minerals from e-waste and other used products.

2. Incentive Scheme for Promotion of Critical Minerals Recycling

2.1 The Scheme will provide financial incentives to the industry to develop recycling capacity for critical materials in the country for the separation and production of critical minerals from secondary sources through recycling.

2.2 The list of critical minerals outlined in Appendix-I will be under the ambit of the Scheme.

3. Objective

3.1 The objective of the scheme is to foster economic resilience in critical minerals through increased domestic capacity and reduced import dependence; and to address recycling capacity shortfalls amidst increasing availability of feedstock.

4. Eligibility of investment

4.1 The target beneficiary of this scheme will be the recyclers of secondary products recovering and extracting critical minerals registered in India. The authorization by CPCB/ SPCB of recycling facilities will be a mandatory requirement for selection of recyclers for incentives under the scheme.

4.2 The target beneficiaries will be classified into two groups on the basis of their Global Manufacturing Revenue (GMR) i.e. the total revenue earned by a company including its holding company (in case of the company being a subsidiary) or subsidiary companies (in case of the company being a holding company). The criteria for grouping are given below:

#	Group	Criteria (GMR of applicants in base year)	Recycler type
1.	A	Equal to or more than ₹200 crore	Large, established
2.	B	Below ₹200 crore	Small, new (including start-up)

4.3 The Scheme will be applicable to investments in new units as well as expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units.

4.4 The scheme will incentivize various recycling systems viz. E-waste recycling, LIB scrap recycling and other recycling i.e. recycling of waste and scrap other than e-waste and LIB scrap.

4.5 Existing recycling units should have valid registration under the following Extended Producer Responsibility (EPR) Rules notified by MoEFCC as may be applicable:

- i. E-Waste (Management) Rules, 2022
- ii. Battery Waste Management Rules, 2022
- iii. The Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025

4.6 New/ startup recycling facility should get registered under the respective EPR Rules as may be applicable before starting recycling/ refining, once prior processes for registration have been undertaken.

4.7 While the scheme is *per se* feedstock source-agnostic, the sourcing of feedstock, whether domestic or imported, for recycling will have to follow the extant rules and regulations in place.

5. Process parameters of the scheme

5.1 Eligible input (scrap sources):

5.1.1 For the purposes of this scheme, e-waste will be as defined in the E-Waste (Management) Rules, 2022, in section 3(1)(l) and in Schedule I to the rules that lists out categories of electrical and electronic equipment. LIB scrap

will be the different advanced chemistry cell (ACC) mixes like LFP, NMC and LCO, etc. Other scrap will include all kinds of scrap (except e-waste and LIB scrap) from which critical minerals can be extracted e.g. catalytic convertor in end-of-life vehicles (ELVs), etc.

5.1.2 The secondary sources should normally have concentration of individual critical materials less than 30% to ensure that the allocation of funds is weighted towards sources that are harder to process.

5.2 Eligible output (recovered finished produce): Incentives shall be intended for the recovery and production of critical minerals in usable product or intermediary form. This will ensure that the scrap sources are recycled with domestic value capture. The purity of metals/ ores/ compounds produced shall normally be at least 99%.

5.3 Eligible process: The scheme will incentivize chemical processing/ extraction (L3), which for LIB scrap recycling will mean R3 recyclers (black mass to metal salt/ metal) and R4 recyclers (end-to-end battery scrap to metal salt/ metal) using hydrometallurgy, besides new and promising technologies. No incentive will be provided to recyclers under L1 (collector, dismantler) and L2 (shredder, sorter)/ R2 (black mass production from LIB scrap through mechanical shredding) categories. In other words, the Scheme will provide incentive for the recycling value chain which is involved in actual extraction of critical minerals, and not the value chain involved in only collecting, dismantling, shredding/ crushing or sorting.

5.4 Yield target: Given that recovery in the recycling process is important, the base level yield target will be 80% for extraction and separation of all critical minerals i.e. at least 80% of recoverable material will have to be separated/ produced by recycling.

6. Incentive structure under the Scheme

6.1 The incentive structure under the Scheme shall be as under:

6.1.1 Capex Subsidy: An incentive of 20% on capital expenditure shall be provided to the units for new recycling capacity or fresh expansion of existing capacity for starting production within specified timeframe, beyond which reduced subsidy as per schedule at Appendix-II shall be applicable. The incentive shall be provided on reimbursement basis. The capital expenditure will be the total of expenditure in plant & machinery, equipment, and associated utilities. Details of such eligible capital expenditure will be specified in the Scheme guidelines. In the case of refurbished plant, machinery and equipment whether imported or domestically procured, their total value not exceeding 20% of the total eligible plant, machinery and equipment, shall be considered for calculation of incentives in this regard.

6.1.2 Opex Subsidy: Incentive on incremental sales over the base year (FY 2025-26) viz. 40% of eligible Opex subsidy in the 2nd year and balance 60% in the 5th year from FY 2026-27 to FY 2030-31 shall be provided, on achievement of threshold incremental sales, as per details at Appendix-II.

6.1.3 Hybrid of Capex subsidy and Opex subsidy

6.2 Incentive ceiling: Total incentive per participant shall be subject to a ceiling in order to ensure greater number of beneficiaries. Given the estimated number of beneficiaries, an overall ceiling of ₹50 crore for a beneficiary falling under Group A, and a ceiling of ₹25 crore for a beneficiary falling under Group B is stipulated to start with. The ceiling can be revised upward as per need later, to ensure full utilization of the incentive money. Within the above overall ceiling, there will be a ceiling for Opex subsidy of ₹10 crore for Group A entities and ₹5 crore for Group B entities.

6.3 The incentives, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies shall be over and above the incentive eligible under the Scheme.

6.4 The applicants shall also be eligible to take benefit under any other scheme(s) of Government of India. Recyclers located in cluster development programmes will also be supported.

7. Tenure of the Scheme

7.1 The tenure of the Scheme is for a period of six years from FY 2025-26 to FY 2030-31.

7.2 The Scheme shall be opened initially for a period of 6 (six) months from the date of call for applications. The applications received under the Scheme will be appraised on an on-going basis and implementation will continue as per the approvals accorded under the Scheme. If required, applications will be invited again.

8. Threshold Limit of Investment

8.1 There shall be minimum threshold investment on the part of the applicant in order to be eligible under the Scheme. Same will be specified in the Scheme guidelines.

8.2 The thresholds are same for new units or expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units.

8.3 Periodic reviews will be undertaken with respect to changes, if any, to the list of goods/ thresholds for which incentives are provided.

9. Approval and Disbursement Process

9.1 Application under the Scheme can be made by any entity of the target segment registered in India.

9.2 Each and every application will be treated as new investment and will be treated as an independent application. The application shall be only for single-phase projects and phase-wise applications will not be considered under the Scheme. There is no restriction on any applicant from making multiple applications and/ or for multiple locations.

9.3 An initial application completed in all respects and submitted before the due date of the scheme will be appraised on an on-going basis and considered for approval. Acknowledgment will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgment of the application shall not be construed as approval under the Scheme.

9.4 The incentive under the Scheme shall be applicable for investment made from the date of approval of the Scheme.

9.5 The incentive against the eligible capital expenditure shall be released after the approval of the application, subject to capital expenditure exceeding the threshold value and only on commencement of commercial production. The subsequent claims for the incentive may be submitted on a six-monthly basis.

9.6 The unit receiving incentive under the Scheme will have to remain in commercial production for a period of at least 3 (three) years from the date of commencement of production or 1 (one) year from the date of receipt of last incentive, whichever is later.

10. Governance Mechanism

10.1 The Scheme will be implemented through a Project Management Agency (PMA), which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support, and for carrying out other duties as assigned by the Ministry of Mines from time to time. The functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme guidelines.

10.2 For carrying out activities related to implementation of the Scheme, the PMA would, *inter-alia*, -

10.2.1 Receive applications, issue acknowledgments, undertake appraisals, and verify eligibility of applicants for support under the Scheme.

10.2.2 Get the disbursement claims examined and disburse the incentive to the approved applicants.

10.2.3 Submit periodic reports to the Ministry of Mines on the progress and performance of the Scheme.

10.3 PMA shall submit the applications, which have been appraised and found eligible, before an Executive Committee (EC) to be constituted by the Ministry of Mines. The EC will be chaired by an officer not below the rank of Joint Secretary in the Ministry of Mines and will include representatives from relevant ministries, departments, and organizations. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the EC will be specified in the Scheme guidelines.

10.4 EC shall recommend to PMA for approval/ rejection/ modification of the applications. On the basis of the recommendations of EC, PMA shall issue an approval letter to the applicant, with a copy to the Ministry of Mines.

10.5 Ministry of Mines shall make budgetary provisions for disbursement of incentives to approved projects under the Scheme. The disbursement of the incentives shall be done by the PMA on the basis of approval conditions and as per financial rules. PMA shall submit budgetary requirements to the Ministry of Mines as consolidated amounts on a regular basis.

10.6 For implementation of the Scheme, the detailed Scheme Guidelines shall be drawn up by the Ministry of Mines and issued separately.

10.7 The progress of the Scheme shall be reviewed through a Governing Council (GC), to be constituted by the Ministry of Mines under the chairmanship of the Secretary, Ministry of Mines, and will include experts from the government and industry. Detailed constitution, functioning, and responsibilities of the GC will be specified in the Scheme guidelines. The GC shall periodically review the progress of the Scheme and the projects thereof. GC is authorized to review and carry out amendments in the Scheme guidelines, with respect to target segments; applicable incentive rates; threshold of investment and sales; gestation period; list of plant & machinery, equipment and associated utilities eligible for incentives under the Scheme, along with applicable thresholds; or any other matter considered necessary for effective implementation of the Scheme, from time to time.

10.8 Mid-term assessment of the Scheme will be conducted to evaluate its impact on the industry and the broader economy, ensuring alignment with its stated objectives.

SHAKIL ALAM, Economic Advisor

Appendix-I

List of critical minerals under the ambit of the Incentive Scheme

1.	Antimony bearing ores
2.	Beryl and other beryllium bearing minerals
3.	Bismuth bearing ores
4.	Cadmium bearing minerals
5.	Cobalt bearing minerals
6.	Gallium bearing minerals
7.	Germanium bearing Zinc ores
8.	Glauconite
9.	Graphite
10.	Indium bearing minerals
11.	Lithium bearing minerals
12.	Molybdenum bearing minerals
13.	Nickel bearing minerals
14.	Niobium bearing minerals
15.	Phosphate (without uranium)
16.	Platinum group of elements bearing minerals
17.	Potash
18.	Rare Earth Elements (minerals of the “rare earths” group not containing Uranium and Thorium)
19.	Rhenium bearing minerals
20.	Selenium bearing minerals
21.	Tantalum bearing minerals
22.	Tellurium bearing minerals
23.	Tin bearing minerals
24.	Titanium bearing minerals and ores (ilmenite, rutile and leucosene)
25.	Tungsten bearing minerals
26.	Vanadium bearing minerals
27.	Zirconium-/ Hafnium-bearing minerals and ores including Zircon

Appendix-II

A1. Indicative Scale of Capex subsidy for Group A and B entities requiring Environment Clearance (EC) as per time taken to start production from date of approval

New unit	Expansion unit	Rate of Capex subsidy
18 months	12 months	20%
24 months	18 months	17%
After 24 months	After 18 months	14%

Note: Ministry of Mines may modify the timelines as may be necessary

A2. Indicative Scale of Capex subsidy for smaller units not requiring Environment Clearance (EC) as per time taken to start production from date of approval

New unit	Expansion unit	Rate of Capex subsidy
12 months	8 months	20%
18 months	12 months	17%
After 18 months	After 12 months	14%

Note: Ministry of Mines may modify the timelines as may be necessary

B. Threshold for Opex subsidy

Year	Incentive of total eligible Opex (%)	Incremental sales threshold (₹ crore)	
		Group A	Group B
Year 2	40%	60	30
Year 5	60%	150	75

Note: Year 0 is base year